विधान सभा मामला

संख्याःई0डी0एन0–ए–घ (3)–3/2022
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,
शिमला–171004।

दिनांक शिमला–171002 24/02/2022

विषयः– नियम 62 के अर्न्तगत प्रस्ताव/नोटिस (दैनिक संख्याः 13/16/21) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या वि0स0 विधायन–नियम–62/1–27/2018 दिनांक 24–02–2022 के सन्दर्भ में मैं उक्त नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस पर विभागीय टिप्पणी संलग्न कर रहा हूँ जो स्वतः स्पष्ट है। अतः विभागीय उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक द्वारा नियम–62 के अन्तर्गत उठाए गए मामले को चर्चा हेतु स्वीकृत न किया जाए।

भवदीय,

(गोविन्द सिहं ठाकुर)
शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार।

,,,,

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) द्वारा नियम–62 के अर्न्तगत उठाये गये मामले का विवरणः–

" मानव भारती निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश, प्रदेश के बाहरी राज्यों व विदेशों में बेची गई फर्जी डिग्रियों से अर्जित किए गए करोडों रूपये के लेन देन बारे यह सदन तुरन्त विचार/चर्चा करें।"

अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः–

निदेशक, मानव भारती पूर्त न्यास (चैरिटीबल ट्रस्ट) ने उनके पत्र संख्याः एम0बी0सी0टी0/1090/09 दिनांक 31 जनवरी, 2009 को सरकार को मानव भारती निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आश्य पत्र जारी करने का आग्रह किया तथा सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को उक्त ट्रस्ट को मानव भारती विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आश्य पत्र जारी किया । तत्पश्चात सरकार द्वारा मानव भारती विश्वविद्यालय(स्थापना ओर विनियमन) विधेयक, 2009(2009 का वि धेयक संख्या 13) पारित किया गया जो 4 नवम्बर, 2009 से प्रवृत है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उनके पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी, 2020 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जो कि मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को सम्बोधित था। जिसमें शिकायतकर्ता श्री टी0 नन्द कुमार और अन्य ने देश के अनेक विश्वविद्यालयों के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी और मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन पर डिग्री बेचने का आरोप लगाया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायत को 16 जनवरी, 2020 को सचिव, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को प्रेषित किया गया तथा मामले की जांच करने का आग्रह किया तथा किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर दोनों विश्वविद्यालय पर कार्रवाई करने को कहा गया।

विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्री जारी करने और गैर अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने बारे दिनांक 01–04–2016 को मानव भारती युनिवर्सिटी को पुरानी डिग्री सील करने का आदेश दिया गया तथा सभी निजी विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रदान की गई डिग्रीयों और जो अभ्यर्थी पास आउट हो चुके है उनकी सूचना अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के आदेश दिए। मानव भारती विश्वविद्यालय ने निर्देशों की अनुपालना करते हुए अपने द्वारा जारी की गई डिग्रीयो को सूची अपनी वेबसाइट पर डाल भी दी।

पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धर्मपुर में तीन अभियोग संख्या 22/2020 दिनांक 03.03.2020 धारा 420, 467, 468 और 120बी भ0 द0 सं0 26/2020 दिनांक 7–3–2020 धारा 420, 457, 468, 471 और 120बी भ0द0सं0 व 27/2020 धारा 420, 457, 468, 471 और 120बी भ0द0सं0 पंजीकृत किए गए है। उक्त मामले में वर्ष 2009 से 2020 तक जाली डिग्रीयां तैयार करके फर्जी तौर पर वितरित किये जाने का संदेह है, जिस पर अभी अन्वेषण प्राथमिकता से जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले का आगामी अन्वेषण हेतु अतिरिक्त महानिदेशक गुप्तचर विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के नेतृत्व में एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक, 4 पुलिस अधीक्षक सहित 19 सदस्यों की विशेष टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा तीनों अभियोगों का अन्वेषण हर पहलू पर गहराई से किया जा रहा है। फ़र्ज़ी डिग्री मामले में पंजीकृत तीनों अभियोगों की अधतनस्थिति निम्न प्रकार से हैः–

1. **<u>अभियोग संख्या 22/2020 दिनांक 3–3–2020 निम्न धारा 420, 467, 468, 471, 120 B IPC</u>**

यह अभियोग श्रीमती ममता, पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न०–20 धिकाड़ा रोड़ चरखी दादरी हरियाणा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। जिसमें शिकायत कर्ता ममता ने आरोप लगाए थे कि इस ने वर्ष 2011 में मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के करनाल स्थित कार्यालय से मनोविज्ञान विषय मे MA की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त की थी जिसके आधार पर वर्ष 2013 में इसका चयन हरियाणा सरकार के श्रम एवं रोज़गार विभाग पंचकूला स्थित कार्यालय में सहायक रोज़गार अधिकारी के पद पर हो गया था। वर्ष 2016 में

जब रोज़गार कार्यालय पंचकुला ने उक्त डिग्री का सत्यापन करवाया तो उक्त डिग्री जाली होना पाई गई। जिस कारण विभाग ने इसे बर्खास्त कर दिया। अभियोग के अन्वेषण पर मानव भारती विश्वविद्यालय लाडो में तलाशी ली गई जिस पर हार्ड डिस्क, पैन ड्राईव, मोहरें व संदिग्ध कागज़ात कब्ज़े में लिए। कब्ज़े में लिए गए दस्तावेज़ों के अवलोकन पर श्रीमती ममता के नाम जारी MA मनोविज्ञान की डिग्री जाली होना पाई गई। जिसे तैयार करने में मानव विश्वविद्यालय के मालिक राजेन्द्र राणा, पूर्व रजिस्ट्रार के0 के0 सिंह, अनुपम ठाकुर तथा मनीष गोयल का हाथ रहा है जिन्हें अभियोग में गिरफ्तार किया गया था। जो माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० से जमानत पर रिहा हुए। अभियोग में अन्वेषण पूरा करके इन चारों अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 19–9–2020 को आरोप पत्र तैयार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जो न्यायालय में विचाराधीन है।

2. **अभियोग संख्या 26/2020 दिनांक 7–3–2020 निम्न धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC**

अतिरिक्त थाना प्रभारी धर्मपुर की रिपोर्ट अनुसार यह अभियोग दिंनाक 7–3–2020 को अभियोग संख्या 22/2020 के अन्वेषण में मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के कार्यालय से सदिंग्ध दस्तावेज़ कब्ज़ा में ले रहे थे तो कार्यालय में 2 अभ्यिर्थियों विक्रान्त शर्मा व संज्ञास की BCA की उतर पुस्तिकाएं बिना चैक हुई व बिना अंक दर्शाए बरामद हुई। जबकि इन दोनों अभ्यर्थियों को वर्ष क्रमशः 2015–16 व 2014–15 में BCA की डिग्री डाक द्वारा जारी होनी पाई गई। जिससे प्रतीत होता है कि मानव भारती विश्वविद्यालय की प्रबंधन कमेटी द्वारा विक्रान्त शर्मा व संज्ञास के साथ मिलकर षडयंत्र रच कर जाली डिग्रियां तैयार करके बेचने का अवैध कार्य कर रहे थे। अभियोग के अन्वेषण पर मानव भारती विश्वविद्यालय के कार्यालय से खाली डिग्रियां व ऐसी डिग्रियां जिनके लिए मानव भारती विश्वविद्यालय प्राधिकृत न था तथा बिना चैक की हुई उतर पुस्तिकाएं कब्ज़े में ली गई। जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। यह अभियोग अन्वेषणाधीन है तथा अभियोग में अन्वेषण प्रगति पर है।

3. **अभियोग संख्या 27/2020 दिनांक 8–3–2020 निम्न धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC**

यह अभियोग श्रीमती सुनीता कपटा सचिव हि०प्र० निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग शिमला की शिकायत पर दर्ज हुआ है जिसमें तहरीर किया गया है कि 103 अभियार्थियों द्वारा अपनी–2 डिग्री/डिप्लोमा जो विभिन्न विषयों में मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुए है को प्रमाणित करवाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को आवेदन किए थे। उक्त डिग्रियों/ डिप्लोमा को जब सत्यापन हेतु मानव भारती विश्वविद्यालय सुल्तानपुर सोलन भेजा गया तो उक्त डिग्रियों/डिप्लोमा को मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा अपने यहां से जारी होने से इनकार किया तथा उक्त डिग्रियां/डिप्लोमा जाली पाए गए। अभियोग के अन्वेषण पर मानव भारती विश्वविद्यालय के रिकार्ड का विश्लेषण किया गया तथा कर्मचारियों से पूछताछ अमल मे लाई गई है। जिस पर पाया गया है कि 2 कम्पयूटर, कुछ खाली डिग्रियां लैटर हैड है तथा 28 पैकेट अभियुक्त प्रमोद कुमार, राजेन्द्र राणा के कहने पर मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से माधव विश्वविद्यालय राजस्थान ले गया था। इस पर माधव विश्वविद्यालय राजस्थान जाकर उक्त दोनों कंम्पयूटर व अन्य सामान बरामद कर लिया गया। बरामद उपरोक्त दोनों कंप्यूटरों के सी०पी०यू० को SFSL जुन्गा भेजा गया है जहां से 2 हार्ड डिस्क के क्लोन प्राप्त हो चुके है जिनमें अभियोग में शामिल 100 जाली डिग्रियों/डिप्लोमा के क्लोन मौजूद पाए गए है। अन्वेषण के दौरान 100 जाली डिग्री/डिप्लोमा धारको में से 96 अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से संबंध रखना पाए गए जिनका सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के 82 डिग्री धारकों का सत्यापन किया जा चुका है तथा 55 फ़र्ज़ी डिग्रियां बरामद की जा चुकी है। अभियोग में फर्जी डिग्रियों के आबंटन में संलिप्त अभियुक्त राज कुमार राणा, के०के० सिंह, प्रमोद कुमार, मनीश गोयल, अनुपमा ठाकुर, सुधा पांडे, केवल शर्मा, मनु जम्वाल,मोहित राणा, सारिका, शीश पाल, हिमान्शु शर्मा, अभिषेक गुप्ता, पकंज अग्रवाल, राजीव गोयल, रितिश गुप्ता तथा अजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है जो अदालत से जमानत पर रिहा है।

इसके अलावा अन्वेषण के दौरान 64 हार्ड डिस्क व 12 मोबाइल फ़ोन जो कि मानव भारती विश्वविद्यालय से कब्ज़ा पुलिस में लिए गए थे को भी SFSL जुन्गा भेजा गया है। जिसके विश्लेषण पर यह मालूम हुआ है कि मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा 41,479 डिग्रियां आवंटित मालूम हुई है। जबकि हि०प्र० निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग शिमला के रिकॉर्ड को चेक करने पर मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा 5455 डिग्रियां ही वैध रूप से आबंटित की है। प्रतीत होता है कि मानव भारती विश्विद्यालय द्वारा 36024 जाली डिग्रियां बांटी गयी है जिस संदर्भ में अन्वेषण प्रगति पर है।

अन्वेषण के दौरान राज कुमार राणा व इसकी पत्नी अश्विनी कँवर द्वारा मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई 115.02 बीघा जमीन जिला सिरमौर व जिला सोलन स्थित लाडो सुल्तानपुर में 35.4 बीघा संपत्ति को संबंधित जिला उपायुक्त से पत्राचार कर के रिकॉर्ड में Red Entry दर्ज करवाई गई है। राज कुमार राणा, उसके परिवार के सदस्यों व मानव भारती चैरिटी ट्रस्ट के नाम से सभी बैंक खातों की विवरणी हासिल की गयी है जिसकी तस्दीक हेतु Charted Accountant की सेवायें हासिल की गयी है जिसका अवलोकन और विश्लेषण प्रगति पर है।

फ़र्ज़ी डिग्री विक्रय से प्राप्त आय से राज कुमार राणा ने राजस्थान में करीब 5 करोड़ की 47 अचल सम्पत्तियाँ खरीद की है। राज कुमार राणा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा प्रवर्तन विभाग तथा आयकर विभाग को भी आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है जिसपर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दिनांक 29/01/2021 को राज कुमार राणा द्वारा अर्जित की गई 194.17 करोड़ की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया गया है। जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रयास से सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त राजकुमार राणा व इसके परिवार के पासपोर्टस ज़ब्त करवा दिए है और इसका परिवार जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है जिसके संदर्भ में लुक आउट सर्कुलर नोटिस **(LOC)** ब्यूरो ऑफ़ इमीग्रेशन से जारी किये गए है। जिसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया हेतु मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो के Interpol शाखा में विचाराधीन है।

फर्जी डिग्रियों को आवंटित करने में संलिप्त एजेंटों की धरपकड़ के लिए प्रयास प्रगति पर है तथा अन्वेषण हर पहलू पर जारी है। अन्वेषण के दौरान मानव भारती विश्व विद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में 17 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है तथा इस फर्जीवाड़े में अन्य सन्ि लप्त आरोपियों की तलाश जारी है।

सरकार द्वारा मानव भारती विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 2020 को अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन श्री राजीव कुमार, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सोलन को उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रशासन का कार्यभार देख रहे है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा मानव भारती विश्वविद्यालय में शैक्षिणिक सत्र, 2020–21 के लिए प्रवेश पर भी उनके पत्र दिनांक 02–07–2020 द्वारा रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित रिकॉर्ड व डिग्रीयों से संबधित पुराना रिकॉर्ड पुलिस अधिक्षक CID व SIT को छानबीन के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा राज्य के निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के विनियमन के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रस्ताव रखा है।